

::-कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर-::

::-कार्यालय आदेश-::

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग/राज्य सरकार, निदेशक माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा, पंचायतीराज एवं संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ए-5(51)कार्मिक/क-2/88-1 दिनांक 29-4-99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के कुल 38 अभ्यर्थियों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति का अनुमोदन कर अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख अंकित जिलों में पदस्थापन हेतु जिला आवंटित किया जाता है :-

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगे :-

1. राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जाँच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जाँच करेंगे।
2. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी /केन्द्र/निगम बोर्ड या उपक्रम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें। (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा।)
3. मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।
4. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.2001 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2001 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
5. दत्तक पुत्र पुत्रियों के संबंध में वैधता की जाँच हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार करेंगे।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1) कार्मिक (क-2) (95) दिनांक 08.04.2003 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.2005 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होगा।
7. संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2)डीओपी/ए-11/06 दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 12 (6) एफ डी /रूल्स/06 दिनांक 13.03.06 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनीज के रूप में किया जा कर फिक्स रेमुनेरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती है।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में फिक्स रेमुनेरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधानी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा।
12. प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनेरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती होगी।
13. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ए-11/ 2006 दिनांक 05.07.2010 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.2010 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.01.2017 व 04.05.2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है, तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा। जिन प्रकरणों में शिथिलन प्राप्त है तथा जो प्रकरण कार्मिक विभाग से जरिए आदेश इस विभाग को स्थानांतरित है, उनसे संबंधित आदेशों में दी गई शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
14. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.07.2010 एवं 02.01.2017 के अनुसार कम्प्यूटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेगें। इन्हें आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही देय होगी। कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.2009 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।
15. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात् ही आदेश जारी करेंगे।

51

16. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ-5(51)डीओपी/ए-11/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.2015 के अनुसार नियम-5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।
17. यदि मृतक आश्रित प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है तो प्रथम प्राथमिकता प्रारंभिक शिक्षा के रिक्त पद पर दी जायेगी। रिक्त पद न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेंगे।
18. माध्यमिक शिक्षा सेटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पेटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।
19. कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक पं.5(51) कार्मिक/क-2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2016 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम-5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम-2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।
20. जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उन्हें ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे जिस पर किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं हो।
21. राज्य सरकार के आदेशानुसार धूम्रपान नहीं करने तथा दहेज नहीं लेने के सम्बन्ध में आवेदक से नियमानुसार शपथ-पत्र प्राप्त करें। जिन अभ्यर्थियों के प्रकरण में मृतक/आवेदक के नाम/उपनाम में विसंगति होने पर नियमानुसार यथेष्ट भाषा में शपथ पत्र लेवे।
22. जिन प्रकरणों में कार्मिक विभाग/शासन से शिथिलन प्राप्त है, उन प्रकरणों में प्राप्त शिथिलन में निहित शर्तों की अनुपालना की जावे।
23. जिन प्रकरणों में शिथिलन प्रदान किया गया है एवं जो अन्य विभाग के होने के कारण कार्मिक विभाग से प्राप्त हुए हैं उसमें शिथिलन आदेश में वर्णित शर्तों एवं कार्मिक विभाग से प्राप्त होने वाले प्रकरणों में कार्मिक विभाग के पत्र में वर्णित शर्तों की अनुपालना होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। इस हेतु नियुक्ति आदेश जारीकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

चूंकि विभाग में कनिष्ठ सहायक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी है, अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाएँ एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे।

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियाँ उप शासन सचिव शिक्षा (गुप-2) विभाग, राज0 जयपुर, एक प्रति उप शासन सचिव कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार (सूची)



(Handwritten signature)

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/साप्र/ए-4/3901/नियुक्ति मूल/2022/6
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 16/02/2022

1. उप सचिव (एम) मुख्य मंत्री सचिवालय, राज0 जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, शिक्षा(गुप-2) विभाग, राज0 जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राज0 जयपुर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज0 बीकानेर।
5. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, समस्त को सूचनार्थ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)..... को उल्लेखित अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र मूल में ही संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश में वर्णित समस्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए रिक्त पद के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित करावे।
7. श्री.....को देकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)..... कार्यालय में देकर पावती लेकर आवे।
8. स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग।
9. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

(Handwritten signature)
16.02.2022
सहायक निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आवेदित पद :- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित जिन्हे निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य साप्र/ए-4/ 3901/ नियुक्ति मूल/2022/ दिनांक 16.02.2022 के तहत 38 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर जिला आवंटित किया जाता है। जिनका विवरण इस प्रकार है :- (स्थिर पारिश्रमिक 12,400/-रुपये मासिक)

क्र.सं.	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/ श्रीमती	मृत्यु तिथि	आवंटित जिला
1	चन्द्रकला साक्षर 01.01.1973	पत्नी	15.02.2021 चश्रेक	जिलाजीत दुबे वरिष्ठ अध्यापक प्रा.शि.	17.11.20	बीकानेर
2	राकेश मारु सैकेण्डरी 23.11.1992	पुत्र	25.06.2021 चश्रेक	आत्माराम मारु चश्रेक माशि	04.05.21	बीकानेर
3	इन्द्रा देवी आठवी 06.06.1980	पत्नी	23.01.2021 चश्रेक	रामकुमार जांदू शाशि प्राशि	27.10.20	हनुमानगढ़
4	सूर्यकला गोदारा नौवी 01.10.1987	पत्नी	17.05.2021 चश्रेक	राकेश कुमार कनिष्ठ सहायक माशि	12.03.21	चूरु
5	सुशीला गेट नवमी, 12.12.1978	पत्नी	27.05.2021 चश्रेक	विजय सिंह अध्यापक माशि	17.04.21	सीकर
6	संतोष साक्षर 25.10.1971	पत्नी	13.07.2021 चश्रेक	अजय कुमार महशानिया व.अ. माशि	22.04.21	सीकर
7	ललिता देवी साक्षर 01.07.1987	पत्नी	09.05.2021 चश्रेक	रघुवीर वर्मा वरिष्ठ सहायक माशि	23.04.21	सीकर
8	रीना कुमारी सैकेण्डरी 26.09.2004	पुत्री	15.12.2020 चश्रेक	ओमप्रकाश कोली अध्यापक माशि	05.10.20	सीकर
9	ज्योति पारीक नौवी 25.08.1984	पत्नी	07.06.2021 चश्रेक	बजरंग लाल पारीक अध्यापक प्राशि	28.04.21	सीकर
10	मनफूल देवी जाट साक्षर 15.10.1970	पत्नी	18.11.2020 चश्रेक	कुन्दनमल चौधरी वरिष्ठ अध्यापक प्राशि	06.10.20	अजमेर
11	अहमद रजा सैकेण्डरी 14.08.1992	पुत्र	07.04.2021 चश्रेक	जमील अहमद वरिष्ठ अध्यापक प्राशि	19.01.21	नागौर
12	सरिता छठी 16.08.1983	पत्नी	15.12.2020 चश्रेक	हरीश कुमार अध्यापक प्राशि	27.09.20	नागौर
13	रामपाली देवी साक्षर 05.03.1981	पत्नी	26.07.2021 चश्रेक	देवकरण कुम्हार अध्यापक माशि	09.06.21	भीलवाड़ा
14	सीमा कुमारी मीणा साक्षर 15.11.1991	पत्नी	17.05.2021 चश्रेक	रामकुमार मीणा अध्यापक पराज.	30.04.21	भीलवाड़ा
15	लाडकंवर आठवी 06.08.1981	पत्नी	18.06.2021 चश्रेक	रामसिंह राठौड चश्रेक माशि	11.05.21	भीलवाड़ा
16	विनय सैकेण्डरी 01.09.2004	पुत्र	17.09.2020 चश्रेक	सुभाष चन्द वरिष्ठ सहायक माशि	05.01.20	भरतपुर
17	शेरुन खातुन आठवी 30.04.1989	पत्नी	06.02.2020 चश्रेक	गुड्डु खान अध्यापक पराज	08.12.19	धौलपुर
18	लखनवाई साक्षर 03.05.1976	पत्नी	05.07.2021 चश्रेक	प्रकाश चन्द बैरवा व्याख्याता माशि	03.05.21	करौली
19	रेखा भारती आठवी 15.10.1990	पत्नी	03.09.2021 चश्रेक	छोटू गिरी व्याख्याता माशि	07.06.21	जोधपुर
20	संगीता पारीक साक्षर 13.12.1982	पत्नी	05.04.2021 चश्रेक	नेमीचन्द पारीक प्रबोधक पराज	11.02.21	जोधपुर

प्रकाश

21	अब्दुल सतार सैक्रेण्डरी 15.05.2002	पुत्र	26.08.2021 चश्रेक	गफूर खान वरिष्ठ अध्यापक माशि	21.06.21	बाङमेर
22	रुकमणी आठवी 13.07.1993	पत्नी	22.07.2021 चश्रेक	गिरधारीराम वरिष्ठ अध्यापक माशि	09.05.21	बाङमेर
23	मन्जु कुमारी आठवी 10.07.1990	पत्नी	23.06.2021 चश्रेक	हुकमदास वरिष्ठ अध्यापक माशि	16.04.21	बाङमेर
24	फुलवन्ती सातवी 01.07.1986	पत्नी	01.06.2021 चश्रेक	श्याम सुन्दर सोढा व्याख्याता माशि	09.05.21	पाली
25	पुष्पा देवी साक्षर 20.12.1972	पत्नी	09.12.2020 चश्रेक	भगाराम पंवार अध्यापक माशि	11.09.20	पाली
26	बीना साक्षर 01.01.1967	पत्नी	16.10.2020 चश्रेक	प्रतापमल पंवार पु.अ. माशि	15.09.20	पाली
27	दिनेश पांचवी 20.04.2000	पुत्र	26.06.2019 चश्रेक	राधाकिशन अध्यापक प्राशि	01.07.10	पाली
28	संदीप बडगोती ग्यारवी 14.08.2003	पुत्र	29.09.2021 चश्रेक	सेवकराम चश्रेक माशि	27.08.21	बूंदी
29	समीरउद्दीन नौवीं 25.04.2004	पुत्र	14.08.2020 चश्रेक	करीमुद्दीन कुरेशी अध्यापक माशि	08.08.18	बारां
30	ज्योति कुमारी कोली सातवी 05.05.1990	पत्नी	10.06.2021 चश्रेक	दीनदयाल शाक्यावाल अध्यापक पराज	03.05.21	बारां
31	नरेश बाई साक्षर 16.05.1991	पत्नी	16.07.2021 चश्रेक	राकेश कुमार केवट चश्रेक माशि	22.05.21	बारां
32	दिलीप कुमार माली आठवी 23.06.2001	पुत्र	09.07.2021 चश्रेक	मंगीलाल कहार वरिष्ठ सहायक माशि	04.05.21	झालावाड़
33	सुनीता चरणावत नौवी 08.03.1985	पत्नी	30.04.2021 चश्रेक	गजानन्द धोबी वरिष्ठ अध्यापक माशि	23.03.21	झालावाड़
34	चम्पा बाई साक्षर 01.01.1983	पत्नी	24.11.2020 चश्रेक	भीमराज गरासिया अध्यापक माशि	22.09.20	उदयपुर
35	भगवानी साक्षर 01.01.1975	पत्नी	22.08.2020 चश्रेक	वजेराम जटिया प्रबोधक पराज	22.06.20	उदयपुर
36	नयना डामोर साक्षर 20.07.1995	पत्नी	14.08.2017 चश्रेक	राजेन्द्र कुमार डेण्डोर अध्यापक पराज	28.06.17	झुंगरपुर
37	अर्जुन लाल गमेती सैक्रेण्डरी 17.09.1975	पति	06.02.2020 चश्रेक	सविता गमेती वरिष्ठ अध्यापक माशि	30.12.19	झुंगरपुर
38	चन्दन पाटीदार सैक्रेण्डरी 12.06.1999	पुत्र	26.06.2021 चश्रेक	धनेश्वर पाटीदार अध्यापक माशि	24.05.21	बांसवाड़ा

नोट :- क्र.सं. 08, 16, 27, 29 एवं 37 के प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा वांछित शिथिलन प्राप्त है।

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर